भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3494
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: एएमआईएफ के तहत कृषि अवसंरचना परियोजनाएं

3494. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री अमर शरदराव काले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि बाजार अवसंरचना कोष (एएमआईएफ) के माध्यम से वित्तपोषित कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) प्रमुख प्रकार की निर्मित अवसंरचना (अर्थात् भांडागार, शीतागार, ग्रेडिंग इकाइयां) का ब्यौरा क्या है;

(ग) एएमआईएफ के माध्यम से कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एएमआईएफ के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं से किसानों को मूल्य प्राप्ति और कम बर्बादी के संदर्भ में लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) एएमआईएफ के कार्यान्वयन में पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एएमआईएफ में सीमांत और छोटे किसानों को सहायता प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) ऐसे किसानों की बाजार अवसंरचना तक पहुंच में सुधार करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ज): आज की स्थिति के अनुसार कृषि बाजार अवसंरचना निधि (एएमआईएफ) एक प्रचालन योजना नहीं है। तथापि, महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतराल को दूर करने और कृषि विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) और कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं कृषि अवसंरचना की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई हैं।

एएमआई के तहत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मांग आधारित है। कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

एआईएफ के तहत, व्यवहार्य फसल-उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधाएं जुटाने के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, इस योजना के तहत 85,314 परियोजनाओं के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा 51,783 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

अनुबंध

31.10.2024 तक एएमआई के तहत सहायता प्राप्त भंडारण अवसंरचना की प्रगति (आरंभ से अर्थात 01.04.2001 से)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	भंडारण अवसंरचना की प्रगति		भंडारण अवसंरचना के अलावा अन्य प्रगति	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी सब्सिडी	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी सब्सिडी
1	आंध्र प्रदेश	1545	31908.10	552	8553.61
2	अरुणाचल प्रदेश	1	6.30	1	0.00
3	असम	368	7183.19	१३	588.52
4	बिहार	1261	5411.41	0	0.00
5	छत्तीसगढ	1397	8914.09	360	6972.88
6	दिल्ली	-	-	1	30.41
7	गोवा	1	0.94	1	50.00
8	गुजरात	12376	35597.37	9184	34871.76
9	हरियाणा	2336	44603.70	171	1767.98
10	हिमाचल प्रदेश	88	180.77	63	1643.04
11	जम्मू और कश्मीर	17	801.45	-	-
12	झारखंड	243	1076.33	430	277.94
१३	कर्नाटक	5062	21816.50	955	10012.56
14	केरल	198	640.57	450	6373.11
15	मध्य प्रदेश	8327	173210.85	1388	34995.38
16	महाराष्ट्र	4071	35319.07	1724	46087.82
17	मणिपुर	-	-	17	0.00
18	मेघालय	17	253.41	-	-
19	मिजोरम	4	6.45	2	4.94
20	नागालैंड	36	354.38	72	1422.33
21	ओडिशा	719	4393.69	23	915.82
22	पंजाब	1824	25231.94	2098	27040.08
23	राजस्थान	1884	15001.13	498	8881.10
24	सिक्किम	-	-	1	15.52
25	तमिलनाडु	1233	5423.74	2050	5505.78
26	तेलंगाना	1354	32039.36	924	14558.20
27	त्रिपुरा	5	296.61	-	-
28	उत्तर प्रदेश	1295	20383.89	19	1005.22
29	उत्तराखंड	323	3971.02	7	1002.26
30	पश्चिम बंगाल	2626	5521.11	-	-
	कुल	**48611**	**479547.37**	**21004**	**212576.26**

*****